झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

सत्यमेव जयते

झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार विधेयक, 2016

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार विधेयक, 2016

झारखण्ड राज्य के अंतर्गत नगरों में निवास करने वाले आम जनों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध भू-गर्भीय जल संसाधनो के स्रोतों का संरक्षण, भूमि के उपरी सतह पर (सतही) जल के स्तर को (Rain water harvesting, upgrade/recharge and conservation of Surface water) उपर उठाने हेतु वर्षा के जल का संरक्षण, जल स्रोतों का उन्नयन (Water recharge) तथा जल के विनियमन, जल के पीने और इससे संबंधित या अनुषांगिक अन्य प्रयोजनों के लिए सतत् और वैज्ञानिक जल प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु तथा इसके प्रभावी एवं समुचित उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल आपूर्ति प्राधिकार की स्थापना के उपबंध करने हेतु विधेयक।

भारत गणतंत्र के 67वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो –

अध्याय - I

प्रारम्भिक

1.0 संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भः-

1.1 यह विधेयक "झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार विधेयक, 2016" कहलायेगा।

1.2 इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

2.0 परिभाषाएं:-

2.1 जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

2.1.1 "कार्य क्षेत्र' से अभिप्रेत है, झारखण्ड का वर्त्तमान एवं भविष्य में बनने वाले सभी सम्पूर्ण शहरी भौगोलिक क्षेत्र, जहां जल का प्रबंधन, वितरण एवं उपयोग सार्वजनिक या निजी संस्थानों द्वारा किया जाता हो अथवा जो वे सभी क्षेत्र जहां से जल स्रोत अथवा जल प्रबंधन करने से आम जनों को शुद्ध पेयजल प्राप्त करने में आसानी हो।

2.2 'उपयोग की श्रेणी' से अभिप्रेत है, विभिन्न प्रयोजनों हेतु जल का प्रयोग यथा- घरेलू, उद्योगों, औद्योगिक या वाणिज्यिक, पर्यावरण संबंधी, उर्जा उत्पादन आदि।

2.3 'अध्यक्ष' से अभिप्रेत है प्राधिकार का अध्यक्ष।

2.4 'विभाग' से अभिप्रेत है नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार।

2.5 'प्राधिकार' से अभिप्रेत है धारा -3 के तहत स्थापित झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार।

2.6 'सरकार ' या 'राज्य सरकार ' से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार।

2.7 'सदस्य ' का अभिप्रेत है, प्राधिकार का सदस्य जिसमें अध्यक्ष भी शामिल है।

2.8 'विहित' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित,

2.9 'खोज' समिति से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा-06 के अधीन गठित चयन समिति,

2.10 'नियम' से अभिप्रेत है, सरकार के द्वारा इस अधिनियम के तहत बनने वाले नियम,

2.11 'अधिसूचना' से अभिप्रेत है, सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत बनाये जाने वाले नियम की अधिसूचना।

2.12 'वर्णित' से अभिप्रेत है, सरकार द्वारा वर्णित।

2.13 'जल परियोजना' से अभिप्रेत है, वैसी योजना जो पेयजल आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ व्यावसायिक, औद्योगिक एवं अन्य उद्देश्य हेतु भूमि आदि।

अध्याय-II

नियामक प्राधिकार की स्थापना

3.1 नियामक प्राधिकार की स्थापना एवं उद्देश्य:

3.1.1 इस अधिनियम के अधिसूचित होने की तिथि से तीन महीने के भीतर राज्य सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गये कार्य करने के लिए अधिसूचना द्वारा एक नियामक प्राधिकार की स्थापना करेगी, जिसे झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार के रूप में जाना जायेगा।

3.1.2 प्राधिकार एक निगमित निकाय होगा।

3.1.3 प्राधिकार का प्रधान कार्यालय रांची में होगा।

3.1.4 प्राधिकार में राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित एक अध्यक्ष और दो से अनाधिक सदस्य होंगे।

3.1.5 प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति धारा 6 मे गठित खोज समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा की जायेगी।

3.2 नियामक प्राधिकार का उद्देश्य:

3.2.1 झारखण्ड राज्य के अंतर्गत सभी नगरों में निवास करने वाले आम जनों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु समस्त आवश्यक कार्रवाई करना,

3.2.2 शहरी क्षेत्र में उपलब्ध भू-गर्भीय जल संसाधनो के स्रोतों, संरक्षित जल एवं सतही जल का संरक्षण,

3.2.3 भूमि के उपरी भाग पर वर्षा के जल का संरक्षण एवं सतही जल स्तर को जल छाजन, जल उन्नयन (Rain water harvesting, upgrade/recharge and conservation of Surface water) एवं अन्य वर्त्तमान प्रचलित एवं वैज्ञानिक तरीके/माध्यम से उपर उठाने हेतु प्रयास करना।

3.2.4 जल स्रोतों में जल उन्नयन (water rechagre) करना तथा जल के विनियमन,

3.2.5 नदियों, तालाबों एवं अन्य स्रोतों के जल को पीने लायक रखने हेतु और इससे संबंधित या आनुषांगिक अन्य प्रयोजनों के लिए सतत् और वैज्ञानिक जल प्रबंधन सुनिश्चित करना,

3.2.6 जल के प्रभावी एवं समुचित उपयोग को सुविधाजनक बनाना,

3.2.7 शहरी क्षेत्र मे जल के अनुचित दोहन को रोकना,

3.2.8 जलापूर्ति हेतु समय-समय पर नियमावली की परिवर्तनीय शर्तों को निर्धारित करते हुए लागू करना

3.2.9 जल संयोजन तथा जलापूर्ति की सेवा के बदले प्राप्त होने वाले जल शुल्क की प्राप्ति को शत-प्रतिशत घरों से वसूल करने में मदद करना तथा राजस्व को बढ़ाने में सहयोग करना,

3.2.10 जल प्रबंधन, समुचित उपयोग के निमित्त जन जागरूकता आदि का कार्य कराना, तथा

3.2.11 समय-समय पर उपभोक्ता जल दर (User water chagres) को लागत एवं सेवा के स्तर के अनुसार संशोधित करते हुए लागू करने में होने वाले व्यय, भविष्य में सेवा के स्तर की निरन्तरता बनाये रखने हेतु, सरकार, नगर निकायों एवं आम जनों की राय प्राप्त करते हुए लागू कराने में सहायता करना।

3.2.12 जल संतुलन के लिए कार्य करना।

3.2.13 गैर राजस्व जल की मात्रा को शून्य तक करना।

3.2.14 सभी घरों में जल से संबंधित मीटर लगाना एवं इसके लिए प्रोत्साहित करना।

3.2.15 प्रत्येक वर्ष जल अंकेक्षण कराना तथा नगरीय क्षेत्र में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

3.2.16 जलकर का निर्धारण तथा उसका विनिमयन करना साथ ही साथ-भूगर्भीय एवं सतही जल के उपयोग यथा पीने, व्यावसायिक, औद्योगिक एवं अन्य उद्देश्य हेतु, एक दर का निर्धारण करते हुए जल संतुलन बनाना एवं राजस्व बढ़ाना।

4.0 प्राधिकार के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यता

4.1 केवल ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त किया जाएगा जो निम्नांकित योग्यता रखता हो:-

4.1.1 अध्यक्ष- न्यूनतम योग्यता स्नातक एवं न्यूनतम् 25 वर्षों के प्रशासनिक/तकनीकी सेवा के अनुभव के साथ राज्य सरकार में सचिव/अभियंता प्रमुख स्तर का पद धारण किया हो तथा उसे शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, जल संचयन एवं जल संसाधन के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो।

4.1.2 सदस्य - दो होंगे।

4.1.2.1 सदस्य- तकनीकी

क. विशेषज्ञ जिन्होंने जल संरक्षण तथा पेय जलापूर्ति एवं जल संसाधन के क्षेत्र में कार्य किया हो।

ख. न्यूनतम योग्यता बी0टेक/बी0ई0 (सिविल, यांत्रिक, जल विज्ञान एवं संबंधित क्षेत्र)

ग. शुद्ध पेयजल की आपूर्ति /जल संचयन/जल संसाधन के क्षेत्र में कम से कम 25 वर्षों का सेवा अनुभव हो, तथा

घ. मुख्य अभियंता या समकक्ष पद पर सेवा दे चुका हो।

2 सदस्य- प्रशासन

क. एक ऐसा विशेषज्ञ होगा जिसे प्रशासनिक कार्य का कम से कम पच्चीस वर्षों का कार्यानुभव हो, तथा

ख. अर्थशास्त्र/समाज विज्ञान/सांख्यिकी/प्रबंधन में मास्टर डिग्री/प्रबंधन में पी0 जी0 डिप्लोमा या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता रखता हो ।

4.2 प्राधिकार का अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने कार्यालय के दौरान कोई अन्य पद धारण नही करेगा।

4.3 अध्यक्ष प्राधिकार का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा ।

4.4 जब अध्यक्ष अनुपस्थिति, बीमारी, मृत्यु, त्याग-पत्र या अन्य कारणों से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो या जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, तब सदस्य (प्रशासन) अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा ।

4.5 प्राधिकार के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन व अन्य भत्ते

4.5.1 प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों आदि का मानदेय (पारिश्रमिक) एवं भत्ता तथा अन्य प्रशासनिक व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा ।

4.5.2 यदि सरकार के वर्त्तमान पदाधिकारी को प्राधिकार के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उनकी सेवानिवृति की तिथि तक उन्हें वही वेतन, भत्ते एवं अन्य लाभ प्राप्त होंगे, जब तक कि वे अपने कैडर से सेवानिवृत न हो जायें ।

4.5.3 अध्यक्षया अन्य सदस्य अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के आलोक में यदि पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो उन्हें उनके पेंशन की राशि घटाकर अंतिम परिलब्धियों के बराबर मानदेय (पारिश्रमिक) भुगतेय होगा। यह राशि किसी भी परिस्थिति में उन्हें सेवानिवृति की तिथि को प्राप्त होने वाली सकल परिलब्धियों से अधिक नहीं होगा ।

अध्यक्ष एवं सदस्य के पदों पर सेवानिवृत पदाधिकारी की नियुक्ति होने की स्थिति में सेवानिवृति की तिथि को उन्हें अनुमान्य आवासन, चिकित्सीय तथा यात्रा संबंधी अन्य सुविधाएं आदि उन्हें नियुक्ति के पश्चात् पूर्ववत प्राप्त होंगी।

4.5.4 वैसे व्यक्ति जो सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं रहे हो और वे प्राधिकार के अध्यक्ष /सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाते हैं तो अध्यक्ष एवं सदस्य को मानदेय (पारिश्रमिक), भत्ते और सुविधाएं वही होंगी, जो राज्य सरकार में क्रमशः मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव को है।

4.6 प्राधिकार के अध्यक्ष और अन्य सदस्य को अनुमान्य अवकाश

4.6.1 प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्य सरकार द्वारा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के लिए घोषित निगोशिएबल इन्सट्रुमेण्ट एक्ट 1881 के अतंर्गत सार्वजनिक छुट्टियां एवं कार्यपालक आदेश के अन्तर्गत घोषित सार्वजनिक अवकाश के हकदार होंगे ।

4.6.2 प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के लिये निर्धारित आकस्मिक अवकाश देय होगा ।

4.6.3 अध्यक्ष को अवकाश स्वीकृत करने के लिए सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सक्षम प्राधिकार होंगे तथा किसी सदस्य को अवकाश स्वीकृत करने के लिए अध्यक्ष सक्षम प्राधिकार होंगे।

5.0 एक व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निर्रहित किया जायेगाः

5.1. यदि वह दिवालिया घोषित किया गया हो, या

5.2 यदि वह शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में असमर्थ हो, या

5.3 यदि उसे किसी भी अपराध से जुड़े नैतिक भ्रष्टता के लिए कारावास की सजा सुनाई गयी है, या दोषी पाया गया हो।

5.4 उसने वित्तीय या अन्य लाभ हासिल कर लिया हो, जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में ऐसे कार्यों को प्रभावित होने की संभावना हो।

5.5 उसने अपने पद का दुरूपयोग किया हो जिससे उसे पद पर बने रहने से सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, या

5.6 वह संसद या किसी राज्य विधानमण्डल या किसी स्थानीय प्राधिकार का सदस्य हो या वहां के लिए चुनाव में एक उम्मीदवार हो, या

5.7 वह किसी राजनीतिक पार्टी का एक सक्रिय सदस्य हो अथवा उसमें कोई पद धारण करता है।

6.0 खोज समिति का गठन तथा कार्य

6.1 राज्य सरकार धारा 03 की उपधारा 05 के अधीन अधिसूचना द्वारा अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक खोज समिति गठित करेगी। समिति का स्वरूप् निम्नवत् होगा :-

6.1.1 मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार : पदेन अध्यक्ष

6.1.2 विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार : पदेन सदस्य

6.1.3 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
झारखण्ड सरकार : पदेन सदस्य

6.1.4 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,
झारखण्ड सरकार : पदेन सदस्य

6.2 राज्य सरकार अध्यक्ष या सदस्य की मृत्यु, इस्तीफा या हटाने के कारण हुई रिक्ति के एक माह के अन्दर और सेवा निवृति या कार्यकाल की समाप्ति के छः महीने पहले अध्यक्ष या सदस्य की रिक्ति को भरने के लिए चयन समिति को निदेश देगी।

6.3 अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करते समय खोज समिति उस व्यक्ति जिसकी अनुशंसा की जा रही है, की क्षमता, सत्यनिष्ठा, चरित्र, योग्यता और अनुभव को ध्यान में रखेगी।

6.4 निर्देश की तारीख से दो महीने के भीतर चयन समिति सदस्यों के चयन को अंतिम रूप देगी ।

6.5 चयन समिति प्रत्येक निर्देशित (भेजी गई) रिक्ति के लिए दो नामों के पैनल की सिफारिश करेगी।

6.6 वह व्यक्ति जिसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में चयन के लिए विचार किया गया है, निम्नांकित के बारे में चयन समिति को अधिसूचित करेगा:

6.6.1 कोई पद, नियोजन या परामर्श कार्य समझौता या व्यवस्था जो उसके अपने या संबंधी के नाम से है अथवा कोई फर्म, व्यक्तियों का समूह या निगमित निकाय का मालिक है या उनके द्वारा अन्यथा नियंत्रित हो, जिसमें निम्नलिखित क्रियाकलाप शामिल है :

6.6.1.1 सतही जल का दिशा परिवर्तन, पानी का वितरण, भू-जल का निकास या जलापूर्ति

6.6.1.2 जल उद्योग से संबंधित निर्माण, बिक्री, पट्टा, किराया अथवा उससे संबंधित मशीनरी की आपूर्ति या सौदा,

6.6.1.3 कोई ईकाई, जो उपर्युक्त खण्ड 6.6.1.1 तथा 6.6.1.2 में निर्दिष्ट किसी व्यापार को व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करती हो।

6.6.2 चयन समिति द्वारा यथा निर्धारित इस तरह के अन्य विवरण और सूचना।

6.7 अध्यक्ष या सदस्य के रूप में व्यक्ति की नियुक्ति और चयन के लिए उनसे प्राप्त किया गया उप धारा 6.6 में निर्दिष्ट विवरण खोज समिति के विचार के लिए रखा जायगा ।

6.8 अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य पद के प्रभार लेने से पहले अपनी नियुक्ति की शर्त के रूप में धारा(6) में वर्णित व्यापार के लाभ से अपने को अलग (वंचित) रखेंगे ।

6.9 यदि कोई व्यक्ति जिसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जायेगा यदि वह राज्य या केन्द्रीय सरकार या किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के निगम या किसी भी सरकारी निकाय के अधीन कोई पद पर हो या लाभप्रद रूप में नियोजित है अथवा किसी अन्य व्यक्ति, सरकारी प्राधिकार सार्वजनिक या निजी क्षेत्र या अन्य सेवा में लाभ के पद पर है तो वह प्राधिकार में योगदान देने से पूर्व अपना इस्तीफा सौंपेगा या उस सेवा से स्वैच्छिक सेवा निवृति लेगा ।

6.10 जिस अवधि तक कोई व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य के पद पर रहता है और किसी भी कारण से अध्यक्ष या सदस्य नही रहने के बाद दो वर्षों तक की अवधि तक वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी पद, नियोजन या परामर्शकार्य व्यवस्था, या उप धारा (6.6) में वर्णित व्यवसाय में वित्तीय लाभ धारण, अर्जन या ग्रहण नहीं करेगा और यदि वह ऐसे किसी भी लाभ को उत्तराधिकार या वसीयती रूप में प्राप्त करता है तो ऐसे लाभ अर्जन करने के तीन माह के अन्दर स्वयं को इस लाभ से वंचित कर लेगा।

6.11 किसी भी व्यक्ति की सिफारिश करने से पूर्व खोज समिति, आश्वस्त हो लेगी कि वह व्यक्ति उप धारा (6.6) में निर्दिष्ट कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नही रखता है, जिसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने में उसका निर्णय पूर्वाग्रह से प्रभावित हो ।

6.12 खोज समिति के सभी निर्णय बहुमत से लिये जायेंगे।

6.13 अध्यक्ष और सदस्यों के चयन और नियुक्ति के लिए ऐसी प्रक्रिया होगी जो निर्धारित की जाए ।

6.14 अध्यक्ष या एक सदस्य की नियुक्ति खोज समिति में किसी रिक्ति के कारण अमान्य नही की जायेगी।

7. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा-शर्तें:-

7.1 अध्यक्ष और सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से तीन साल की अवधि तक पदधारण करेगा ।

परन्तु, अध्यक्ष या सदस्य की पुनर्नियुक्ति दो से अनाधिक लगातार अवधि तक हो सकती है ।

परन्तु, यह और कि अध्यक्ष या सदस्य सत्तर वर्षों की आयु के पश्चात् पद धारण नही करेगा ।

7.2 अध्यक्ष या कोई भी सदस्य किसी भी समय सरकार को लिखित सूचना (Notice) देने के तीन माह बाद पद त्याग सकता है या धारा 08 के प्रावधानों के अनुसार उसे उसके पद से हटाया जा सकता है ।

7.3 अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने के पूर्व निर्धारित किये गये प्राधिकार के समक्ष विहित रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे।

7.4 अध्यक्ष या सदस्य को देय वेतन भत्तों और अन्य शर्तें एवं बंधेज ऐसी होंगी जैसी निर्धारित की जाए।

7.5 अध्यक्ष या सदस्यों को देय वेतन भत्ते या अन्य सेवा शर्तें उनके चयन के बाद इस रूप में परिवर्तित नही की जा सकेगी जो उनके प्रतिकूल हो ।

7.6 अध्यक्ष या सदस्य पद समाप्ति के बाद निम्नांकित नही करेगा :-

7.6.1 वह सरकार की अनुमति के बिना अपना पद छोड़ने से दो वर्षों की अवधि तक राज्य सरकार के अन्तर्गत अन्य रोजगार के लिए पात्र नही होगा

7.6.2 अपना पद छोड़ने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए वह कोई भी व्यावसायिक रोजगार स्वीकार नही करेगा, और

7.6.3 किसी भी तरीके से प्राधिकार के समक्ष किसी भी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नही करेगा।

स्पष्टीकरणः- इस उपधारा के प्रयोजनार्थः-

7.6.3.1 राज्य सरकार के अधीन नियोजन के अन्तर्गत भारत के राज्य के अन्दर किसी भी स्थानीय निकाय या अन्य प्राधिकार जो किसी राज्य सरकार के नियंत्रण में हों या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम या संस्था (Society) में नियोजन शामिल है ।

7.6.3.2 वाणिज्यिक नियोजन से अभिप्रेत है किसी एजेंन्सी के तहत वैसा नियोजन जिसमें व्यक्ति जल संसाधनों से संबंधित उद्योग में वाणिज्यिक, औद्योगिक या वित्तीय कारोबार में लगा हो और इससे कंपनी का निदेश क या फर्म का भागीदार भी शामिल है और इस रूप में या फर्म के भागीदार के रूप में या सलाहकार या एक परामर्शी के रूप में अभ्यास करना भी शामिल है ।

8.0 अध्यक्ष या सदस्य को हटाया जाना

8.1 उपधारा (8.2) के उपबंधों के अध्यधीन, अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उनके पद से तभी हटाया जा सकता है जब राज्य सरकार के निर्देश पर सरकार के सचिव स्तर के तीन अधिकारियों के जांच अधिकारी के रूप में नियुक्ति के बाद जांच में कदाचार साबित होता है ।

8.2 उपधारा (8.1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार आदेश द्वारा किसी सदस्य को कार्यालय से हटा सकती है यदि उसने धारा 5 में उल्लेखित निरहता का अवलम्बन लिया हो।

8.3 उपधारा (8.2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष या सदस्य को धारा 5 के खण्ड (ख) खण्ड (घ) या खण्ड (च) में विनिर्दिष्ट आधार पर तब तक हटाया नही जा सकता जब तक कि राज्य सरकार द्वारा निर्देशित जांच के आधार पर जांच के अधिकारी इस संदर्भ में जांच करने के पश्चात् अपनी जांच रिपोर्ट में सूचना न दें कि सदस्य को उक्त आधार पर हटाया जा सकता है।

8.4 राज्य सरकार यथा स्थिति, उपधारा(1) या उपधारा(3) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन के अनुसार उपयुक्त आदेश पारित करेगी और राज्य सरकार के अंतिम निर्णय को अध्यक्ष या अन्य संबंधित सदस्य को ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति के 30 दिनों की अवधि के भीतर सूचित किया जायेगा ।

8.5 जांच के अवधि में उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट वर्णित स्थिति में राज्य सरकार वैसे सदस्य को प्राधिकार से निलंबित कर सकती है ।

9.0 अधिकारियों ओर कर्मचारियों को प्राधिकार में प्रतिनियुक्त करने की राज्य सरकार की शक्तियां और उनकी सेवा शर्तें :-

9.1 अध्यक्ष के नियंत्रण के तहत विनियमों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कर्त्तव्यों के पालन करने के लिये प्राधिकार एक सचिव की नियुक्ति कर सकता है ।

9.2 प्राधिकार आवश्यक जानकारी नगर विकास एवं आवास विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा जल संसाधन विभाग से प्राप्त कर सकता है ।

9.3 अपने दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्राप्त करने हेतु प्राधिकार आवश्यकतानुसार परामर्शियों की नियुक्ति कर सकता है जिनकी शर्तें विनियमों द्वारा निर्धारित होंगी।

9.4 प्राधिकार के सचिव, पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें वही होंगी जो नियमों द्वारा निर्धारित की जायेंगी ।

9.5 इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्राधिकार में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की सेवा शर्त्तें उन्हें प्रतिनियुक्ति से पहले दिये गये लाभ से कम लाभप्रद नही होंगी तथा उन्हें कम लाभ प्रदान करने के रूप में बदला नहीं जायेगा ।

9.6 इस संबंध में प्राधिकार द्वारा किए गए प्रस्ताव पर राज्य सरकार प्राधिकार में प्रतिनियुक्ति पर किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति करेगी ।

9.7 प्राधिकार के अन्तर्गत किसी भी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष होगी मगर जब वैसे व्यक्ति का प्रत्यर्पण किसी संदर्भ में यथा-पदोन्नति, वापसी, समाप्ति या सेवानिवृति की वजह से या प्रतिनियुक्ति के किसी अन्य कारण से आवश्यक हो तब, उसकी सेवा राज्य सरकार के अधीन प्रत्यार्पित की जायेगी ।

परन्तु ऐसी प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान वेतन, छुट्टी, भत्ते, सेवानिवृति, पेंशन, भविष्य निधि और प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों की अन्य सेवा शर्तें झारखण्ड सिविल सेवा नियमावली या इस प्रकार के अन्य नियमों, जो राज्य द्वारा समय-समय पर बनाएं जाते हों, के अन्तर्गत विनियमित होंगे ।

10.0 प्राधिकार की कार्यवाही

10.1 प्राधिकार राज्य के भीतर ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा जो अध्यक्ष को उचित लगता हो और अपनी बैठकों (अपनी बैठकों में गणपूर्ति सहित) में कार्य संव्यवहार के लिए ऐसी प्रक्रियागत नियमों का पालन करेगा जो विनियमों के द्वारा निर्धारित किया जाए ।

10.2 अध्यक्ष या यदि वह बैठक में उपस्थित नही हो सकता है तो उसके द्वारा इस निमित्त मनोनीत सदस्य प्राधिकार की बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

10.3 प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत सभी मामलों का निर्णय उपस्थित सदस्यों के मतों के मतदान एवं बहुमत द्वारा किया जायेगा और मतों की समानता की स्थिति में अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को दूसरी या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

10.4 प्राधिकार के सभी निर्णय, निदेश तथा आदेश लिखित रूप में आधारित कारणों के साथ होंगे तथा उसे किसी भी व्यक्ति के निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जायेगा तथा उसकी प्रतियां प्राधिकार द्वारा निर्धारित रूप में उपलब्ध करायी जायेंगी ।

10.5 प्राधिकार अपनी प्रक्रिया को स्वयं विनियमित करेगा ।

10.6 प्राधिकार के सभी आदेश और निर्णय प्राधिकार के सचिव या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप में प्रमाणित किया जायेगा ।

11.0 रिक्तियां आदि के कारण कोई कार्य या कार्यवाही अवधि मान्य नहीं -प्राधिकार के किसी कार्य या कार्रवाई पर आपत्ति नही की जायेगी या उसे प्राधिकार के गठन में कोई रिक्ति या दोष के आधार पर अविधि मान्य नही किया जाएगा ।

अध्याय-III

प्राधिकार की शक्तियां, कार्य और कर्तव्य

12.0 प्राधिकार की शक्तियां, कार्य और कर्तव्य

12.1. प्राधिकार की शक्तियां, कार्य और कर्तव्य निम्नलिखित होंगे :-

12.1.1 झारखण्ड राज्य के अंतर्गत सभी नगरों में निवास करने वाले आम जनों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के निमित्त सरकार समय-समय पर वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए आवश्यक कदम सुनिश्चित कराना।

12.1.2 उपलब्ध भू-गर्भीय जल संसाधनो के स्रोतों के संरक्षण के साथ-साथ सतही जल स्तर को बढ़ाने के लिए सार्थक प्रयास कराने के निमित्त सरकार को सलाह देना।

12.1.3 भूमि के उपरी भाग पर सतही जल स्तर (Upgradation of surface water) को उपर उठाने हेतु (Rain water Harvesting, water recharge and conservation of Surface water) वर्षा जल को संरक्षण के निमित्त सरकार को सलाह देना एवं मानक तय करना।

12.1.4 जल स्रोतों में जल उन्नयन (water recharge) करना तथा जल के विनियमन के निमित्त सरकार को सलाह देना

12.1.5 शहर के प्रक्षेत्र में आने वाली नदियों, तालाबों एवं अन्य स्रोतों के जल को पीने लायक रखने हेतु इससे संबंधित या आनुषांगिक अन्य प्रयोजनों के लिए सतत् और वैज्ञानिक जल प्रबंधन सुनिश्चित कराने की व्यवस्था हेतु सरकार को सलाह देना।

12.1.6 शहरी क्षेत्र में जल के अपव्यय को रोकने हेतु सलाह देना ।

12.1.7 जल संयोजन तथा जलापूर्ति की सेवा के बदले प्राप्त होने वाले water charges की प्राप्ति को शत-प्रतिशत घरों से वसूल करने के निमित्त सरकार को सलाह देना ताकि यह राज्य के सभी निकायों में लागू हो सके एवं निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हुए राजस्व को बढ़ाना ।

12.1.8 जल प्रबंधन एवं इसके समुचित उपयोग के निमित्त जन जागरूकता आदि का कार्य करना।

12.1.9 समय-समय पर जल दर water charges को लागत एवं सेवा के स्तर के अनुसार संशोधित करते हुए इसके लागू करने में होने वाले व्यय, भविष्य में सेवा के स्तर को निरन्तर रखने हेतु, सरकार, नगर निकायों एवं आम जनों की राय प्राप्त करते हुए लागू कराने में सहायता करना ।

12.1.10 घरेलू जलापूर्ति, उद्योग एवं अन्य व्यवसायों में प्रयुक्त सतही एवं भू-गर्भीय जल के प्रयोग हेतु जल टैरिफ को निर्धारित एवं नियमित करना,

12.1.11 बहुउद्देशीय जल परियोजना के उचित संचालन और रख-रखाव (ओ एवं एम) की लागत का निर्धारण करना

12.1.12 जलापूर्ति क्षेत्र की लागत एवं राजस्व सगंहण का समय-समय पर पुनरीक्षण एवं मॉनिटरिंग करना।

12.1.13 जल संतुलन के लिए कार्य करना।

12.1.14 गैर राजस्व जलापूर्ति को कम करना।

12.1.15 सभी घरों में जल से संबंधित मीटर लगाना सुनिश्चित करना एवं इसके लिए प्रोत्साहित करना।

12.1.16 प्रत्येक वर्ष जल अंकेक्षण कराना तथा जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

12.2 सेवा प्रदानता की गुणवत्ता को प्रणाली परिचालन और रखरखाव के अभाव से प्रभावित होने से बचाव सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकार द्वारा ऐसी परियोजनाओं के पूर्ण संचालन व रखरखाव की निर्धारित आवश्यकताओं के लिए राज्य सरकार को मानक उपलब्ध कराना।

12.3 जल संसाधनों के कुशल उपयोग एवं पानी के अपव्यय को कम करने के लिए बढ़ावा देनाः-

12.3.1 विभिन्न उपयोगकर्त्ताओं/विभागों द्वारा जलापूर्ति के प्रबंधन के लिए गुणवत्ता मानकों को निर्धारित करना एवं उसकी निगरानी करना और उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करना

12.3.2 विभिन्न जलापूर्ति सेवा प्रदाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुबद्ध (stipulated) सेवाओं की गुणवत्ता के मानकों का निर्धारण एवं निगरानी का कार्यान्वयन करना तथा उल्लघंन के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करना

12.4 परियोजना प्राधिकार द्वारा निम्नलिखित जानकारी युक्त वार्षिक रिपोर्ट के प्रकाशन को सुनिश्चित करना :

12.4.1 जलापूर्ति और उसके वास्तविक उपयोग, जल उपयोग दक्षता एवं उत्पादकता के विवरण सहित पेयजलापूर्ति एवं संरक्षण से संबंधित सभी सांख्यिकीय डाटा को अन्तर्विष्ट करते हुए पेयजलापूर्ति एवं संरक्षण की स्थिति

12.4.2 अन्य परियोजनाओं से प्रतिस्पर्धा के लिए सर्वोतम प्रबंधन/बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं का मानदण्ड निर्धारित करना

12.4.3 जलापूर्ति हेतु परियोजना को व्यवस्थागत और वैज्ञानिक पहचान देने के लिए परियोजनाओं की लेखा परीक्षा

12.5 12.5.1 प्राधिकार निर्धारण के अनुसार उनके सदस्यों को सेवा परिदान सुनिश्चित करने के लिए जल उपभोक्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन /हतोत्साहन हेतु उपयुक्त क्रियाविधि का उपाय करेगाः

12.5.2 इस अधिनियम के अधीन शक्तियों के निर्वहन में विशिष्ट निर्देशों के अनुपालन नहीं किए जाने पर प्राधिकार, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार को उपयुक्त अनुशासनात्मक करने की सिफारिश करेगा।

12.6 राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से प्राधिकार के सौंपे गए किसी अन्य शक्ति, कार्य और कर्त्तव्यों का संपादन करना ।

अध्याय-IV

खातों की लेखा परीक्षा (अंकेक्षण) एवं प्रतिवेदन

नियामक प्राधिकार की शक्तियां, कार्य और कर्तव्य

13.0 प्राधिकार का बजट (आय-व्यय का लेखा) -प्राधिकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्रारूप एवं ऐसे समय तक, जैसा की विहित किया जाय, अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट (आय-व्यय का लेखा) तैयार करके सरकार को अग्रसारित करेगा।

14.0 प्राधिकार को अनुदान और अग्रिम-सरकार राज्य विधान मंडल द्वारा इस निमित्त विधिवत किए गए विनिमय के बाद प्राधिकार को वैसे अनुदान और अग्रिम प्रदान कर सकती है जो इस अधिनियम के अधीन इसे अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन एवं कार्यों के संपादन के लिए आवश्यक समझे, और अनुदान और अग्रिम राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित शर्त्तों के अधीन दिया जायेगा।

15.0 प्राधिकार लेखा

15.1 प्राधिकार उचित खातों और अन्य सुसंगत अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा और महालेखाकार के परामर्श से सरकार द्वारा यथा निर्धारित फारम में खातों का वार्षिक विवरण तैयार करेगा।

15.2 प्राधिकार के लेखा परीक्षा महालेखाकार द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जायेगी जो वह विनिर्दिष्ट करे।

15.3 इस अधिनियम के अधीन महालेखाकार और लेखा परीक्षा के संबंध में प्राधिकार के खातों की लेखा परीक्षा के सिलसिले में उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को वही अधिकार व विशेषाधिकार होंगे जो आमतौर पर महालेखाकार को सरकारी लेखा परीक्षा के संबंध में प्राप्त हैं और विशेष रूप से उसे रजिस्टर, लेखा संबंधित रसीद और अन्य कागजात और कागज की मांग करने तथा प्राधिकार के किसी कार्यालय के निरीक्षण करने का अधिकार भी होगा।

15.4 महालेखाकार या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित प्राधिकार के लेखा तथा परीक्षा प्रतिवेदन को प्राधिकार द्वारा सरकार को वार्षिक रूप से अग्रसारित किया जायेगा।

16.0 प्राधिकार का वार्षिक प्रतिवेदन

16.1 प्राधिकार प्रत्येक वर्ष में एक बार पिछले वर्ष की गतिविधियों का सारांश देते हुए यथाविहित फारम एवं समय से वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा और उसकी प्रति सरकार को भेजी जायेगी।

16.2 उप धारा (1) के अधीन प्राप्त प्रतिवेदन/रिपोर्ट की प्रति इसकी के छह महीने के भीतर राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखी जायेगी।

अध्याय-V

विविध

17.0 राज्य सरकार की सामान्य शक्तियां-सरकार को समग्र योजना और समन्वय सहित राज्य सहित राज्य में जल से संबंधित मामलों पर प्राधिकार को नीति निर्देश जारी करने की शक्ति होगी ।

18.0 प्राधिकार के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी का लोक सेवक होना-प्राधिकार के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को, जब वे इस अधिनियम या एतद्वीन बनाए गय नियमों या विनियमों के किसी उपबंध के अनुपालन की कार्रवाई कर रहे हों या उनके द्वारा कार्रवाई करना तात्पर्यित हो तब उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा ।

19.0 सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण -सरकार या प्राधिकार और सरकार के अधिकारी या प्राधिकार के किसी सदस्य, अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरूद्ध किसी ऐसी बात के लिए जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गय नियमों या विनियमों के अधीन सदभावपूर्वक की गई है या जिसका सदभावपूर्वक किया जाना तात्पर्यित है, कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नही चलायी जाएगी ।

20.0 नियम बनाने की शक्ति

20.1 राज्य सरकार पिछले प्रकाशन के शर्त्त के अध्यधीन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है ।

20.2 इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधानमण्डल के समक्ष, जब वह चौदह दिनों की कुल अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र या दो या अधिक उत्तरवर्त्ती सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा, और यदि, उस सत्र के अवसान के पूर्व , जिसमें इसे रखा गया है अथवा ठीक अनुवर्ती सत्र में विधान मंडल नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाता है अथवा वह सहमत होता है कि यह नियम नही बनाया जाना चाहिए, और इस आशय का अपना विनिश्चय राजपत्र में अधिसूचित करता है तो राजपत्र में ऐसा विनिश्चय प्रकाशित होने की तारीख से यह नियम यथास्थिति, केवल उपांतरित रूप में प्रभावी होगा अथवा इसका कोई प्रभाव नही होगा तथापि ऐसे किसी उपातंरण या बातिलीकरण से उस नियम के अधीन पूर्व में की गयी या किए जाने से लोप की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा ।

21.0 विवाद समाधान क्रियाविधि-

21.1 अपनी ओर से जारी किए गए आदेश के द्वारा सरकार इस अधिनियम के अधीन निर्धारित जल के वितरण के संबंध में विवादों के समाधान हेतु प्रत्येक परियोजना के लिए किसी भी सक्षम अधिकारी को प्रारम्भिक विवाद समाधान पदाधिकारी के रूप् में प्राधिकृत कर सकती है।

21.2 प्राथमिक विवाद समाधान अधिकारी ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो विवादों की सुनवाई के दौरान निर्धारित की जाए ।

22.0 विनियमों को बनाने के लिए प्राधिकार की शक्तियां -प्राधिकार राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गये विनियमों के साथ सुसंगत कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए विनियम बना सकता है ।

23.0 समस्याओं के समाधान हेतु प्रदत्त शक्तियां

23.1 जनहित से संबंधित नीति के मामले में सरकार प्राधिकार को लिखित रूप में सामान्य या विशेष निर्देश जारी कर सकती है तथा प्राधिकार को ऐसे निर्देशों पर कार्रवाई करना एवं पालन करना बाध्यकारी होगा ।

23.2 यदि यह प्रश्न खड़ा हो जाए कि इस प्रकार का दिया गया निर्देश जनहित से संबंधित है अथवा नही तो इस संबंध में सरकार का निर्णय अंतिम होगा ।

24. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति -

यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट या तत्समय प्रवृत किसी अन्य अधिनियम के कारण कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अवसरानुकूल संशोधन, परिवर्द्धन या विलोपन जिसे करना पड़े वह आवश्यक और समीचीन समझें, आदेश द्वारा निदेशित कर सकती है जो ऐसी अवधि, जो इस आदेश के बाद बारह महीने से अधिक न हों, के दौरान प्रभावी होगा ।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

उद्देश्य एवं हेतु

झारखण्ड राज्य के अंतर्गत नगरों में निवास करने वाले आम जनों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध भू-गर्भीय जल संसाधनो के स्रोतों का संरक्षण, भूमि के उपरी सतह पर (सतही) जल के स्तर को (Rain water harvesting, upgrade/recharge and conservation of Surface water) उपर उठाने हेतु वर्षा के जल का संरक्षण, जल स्रोतों का उन्नयन (Water recharge) तथा जल के विनियमन, जल के पीने और इससे संबंधित या अनुषांगिक अन्य प्रयोजनों के लिए सतत् और वैज्ञानिक जल प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु तथा इसके प्रभावी एवं समुचित उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार के गठन की आवश्यकता है।

तदनुसार झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार विधेयक, 2016 का प्रावधान किया गया है, जिसे प्रख्यापित करना इस विधेयक का अभिष्ठ है।

(चन्देश्वर प्रसाद सिंह)
भार साधक सदस्य।